म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र. दिनांक 04/3/22

क्रमांक 369/म.प्र.न.वि.वि.वि.आयोग/स्थापना/भोपाल

//आदेश//

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग की 173 वीं सभा की बैठक दिनांक 12/02/2022 के एजेण्डा कमांक (173)–5 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम जी.एच.रॉयसोनी विश्वविद्यालय, छिंदवाडा के मुख्य परिसर में स्थित शैक्षणिक विभागों में निम्नलिखित तालिका मे दर्शित पाठयकमों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित सीट संख्या अनुसार के संचालन करने की अनुमति निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है।

Courses Proposed by G.H. Raisoni University, Chhindwara			
Faculty of Sciences			
SrNo	**Name of the Course**	**Ordinance No.**	**Intake Capacity**
1	B.Sc. IT	48	120
2	B.Sc. P.C.M.	59	60
3	M.Sc. Physics	33	30
4	M.Sc. Chemistry	34	48
5	M.Sc. Maths	32	30
Faculty of Pharmacy			
SrNo	**Name of the Course**	**Ordinance No.**	**Intake Capacity**
1	D. Pharma	29	60
2	B. Pharma	27	60
Faculty of Commerce & Management			
SrNo	**Name of the Course**	**Ordinance No.**	**Intake Capacity**
1	BBA (General)	6	60
2	BBA (Sp.)	6	60
3	B.Com.	5	60
4	MBA	7	60

शर्त :–

- संबंधित विनियामक परिषदों से अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर उपरोक्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं संबन्धित विनियामक परिषदों के मापण्दडों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबन्धित विनियामक परिषदों की गाईडलाईन के अनुसार दिये जायेगें।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाईडलाईन /मापदण्डों का पालन सुनिशिचत किया जाना अनिवार्य होगा।
- विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिशित करना होगा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक प्रत्यायन एवं मूल्याकन अनिवार्यतः कराना होगा।

कार्यालय : ज्ञान वाटिका, वाल्मी रोड, कलियासोत डेम के सामने भोपाल- 462016 (म.प्र.) ई-मेल : Sec.mppurc@gmail.com, वेबसाइट : mpnvva.in, फोन : 0755-2490322

Office : Gyan Vatika, Walmi Road, Opposite Kaliyasot Dam, Bhopal-462016 (M.P.) Email : Sec.mppurc@gmail.com, Website : mpnvva.in, Phone : 0755-2490322

- व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक एजेंसियों से ग्रेडिंग/मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा तथा पाठयकमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु रेंकिंग संस्था /ऐजेंसियो के मापदण्डों की पूर्ति करना होगा
- यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्याथियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संधारित करना होगा।
- पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरिक्षण के दौरान किसी प्रकार की गंभीर न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।

नोटः–

- आपके द्वारा प्रस्तावित अंभियान्त्रिकी संकाय के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि अंभियान्त्रिकी संकाय के पाठ्यक्रमों में निरीक्षण समिति की स्पष्ट अनुशंसा नहीं है एंव उक्त पाठ्यक्रमों में कमी इंगित की गई है अतः विश्वविद्यालय के द्वारा कमियों को पूर्ण करने के उपरांत पुनः निरीक्षण के पश्चात् आयोग द्वारा अनुमति प्रदान करने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।
- कृषि संकाय में बी.एस.सी एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम का आई.सी.ए.आर. एजेंसी द्वारा एकिडिएशन प्राप्त किया गया है परंतु बी.एस.सीं होरटीकल्चर एवं अन्य कृषि पाठ्यक्रम (स्नातक/स्नातकोत्तर) के लिऐ एकिडिएशन के लिये क्या स्थिति है के संबंध में एकिडिएसन की स्थिति स्पष्ट नही है उक्त संबंध में संम्पूर्ण विवरण आयोग को उपलब्ध कराये, जिसके पश्चात आयोग द्वारा अनुमति प्रदान करने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
- विधि संकायों में बी.सी.आई. की वर्तमान वर्ष की अनुमति है या नही ? स्पष्ट कराने के संबंध में संम्पूर्ण विवरण आयोग को उपलब्ध कराये, जिसके पश्चात आयोग द्वारा अनुमति प्रदान करने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
- विधि संकाय में एल.ल.एम. पाठ्यक्रम में स्वीकृत सीट संख्या 10 विद्यार्थी प्रति ब्रांच का प्रस्ताव है परंतु कुल कितनी शाखाओं मे एलएलएम पाठ्यक्रम की अनुमति ली जाना है उक्त विधि पाठ्यक्रमों के लिये ब्रांच वार प्राध्यापकों की उपलब्धता का स्पष्टीकरण प्राप्त करने के उपरांत स्थिति स्पष्ट होने के संबंध में संम्पूर्ण विवरण आयोग को उपलब्ध कराये, जिसके पश्चात आयोग द्वारा अनुमति प्रदान करने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(मा. अध्यक्ष महो. द्वारा अनुमोदित)

04/3/2022

(डॉ. के.पी. साहू)
सचिव
म0प्र0नि0वि0वि0वि0आयोग, भोपाल
दिनांक /03/2022

पृष्ठांकन............/ म0प्र0नि0वि0वि0आयोग/स्थापना/ भोपाल
प्रतिलिपि–

1. कुलसचिव, जी.एच. रॉयसोनी विश्वविद्यालय, छिंदवाडा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अध्यक्ष, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
3. प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी शुल्क नियतन प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
6. मूल नस्ती।

/
सचिव
म0प्र0नि0वि0वि0वि0आयोग, भोपाल